UPSI010016972023

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–8, सीतापुर।
उपस्थितः श्री मोहिन्दर कुमार (उच्चतर न्यायिक सेवा) JO. CODE– UP6383
सिविल रिवीजन संख्या–13/2023
CIS NO. 13/2023

1– रामगोपाल आयु लगभग 27 वर्ष पुत्र श्री रामसिंह।

2– विशाल आयु लगभग 21 वर्ष पुत्र श्री रामसिंह।

निवासीगण ग्राम बाबूपुरवा मजरा चौखड़िया डाकखाना अर्थापुर परगना व तहसील मिश्रिख जिला सीतापुर। .....प्रार्थीगण/निगरानीकर्तागण।

बनाम

1– कामता प्रसाद आयु लगभग 43 वर्ष पुत्र स्व. श्री मूलचन्द्र निवासी ग्राम बाबूपुरवा मजरा चौखड़िया डाकखाना अर्थापुर परगना व तहसील मिश्रिख जिला सीतापुर।

2– हरद्वारी लाल आयु लगभग 67 वर्ष पुत्र स्व. श्री मूलचन्द्र निवासी ग्राम सेमरिया परगना कस्ता तहसील मितौली जिला लखीमपुर खीरी।

3– रामसिंह आयु लगभग 63 वर्ष पुत्र श्री मूलचन्द्र निवासी ग्राम बाबूपुरवा मजरा चौखड़िया डाकखाना अर्थापुर परगना व तहसील मिश्रिख जिला सीतापुर।

.....विपक्षीगण/उत्तरदातागण।

निर्णय

1– निगरानीकर्तागण की ओर से दीवानी निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा–115 दीवानी प्रक्रिया संहिता, न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) सीतापुर द्वारा दीवानी वाद संख्या–389/2021, कामता प्रसाद आदि बनाम रामगोपाल आदि में पारित आलोच्य आदेश दिनांकित–19.11.2022 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गयी है।

2– निगरानीकर्तागण द्वारा अपनी निगरानी में यह आधार लिया गया है कि यह मामला ग्राम चौखड़िया, परगना व तहसील मिश्रिख, जिला सीतापुर में स्थित विवादित कृषि भूमि गाटा संख्या 70 (क्षेत्रफल 1.4200 हे०), गाटा संख्या 72 (क्षेत्रफल 1.3640 हे०), गाटा संख्या 160 (क्षेत्रफल 0.4660 हे०)–जिनका कुल क्षेत्रफल 3.2500 हे० है तथा गाटा संख्या 163 (क्षेत्रफल 0.934 हे०) से संबंधित है। इस भूमि को उत्तरदाता संख्या 3 के पिता श्री मूलचन्द्र (जो मूलवाद में प्रतिवादी संख्या 3 थे) से उत्तरदाता संख्या 1 कामता प्रसाद और सन्तराम ने पंजीकृत बैनामे द्वारा क्रय किया था, जिसमें सन्तराम की मृत्यु के बाद उनका अंश वरासतन उनकी विधवा श्रीमती रामसहेली, पुत्र शिवम और पुत्री शैलेन्द्री को संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ और वे सभी राजस्व अभिलेखों में संक्रमणीय भूमिवर के रूप में दर्ज हैं, जबकि उत्तरदाता संख्या 2 हरद्वारीलाल का इस भूमि में कोई हक या हिस्सा नहीं है और न ही वह ग्राम बाबूपुरवा मजरा चौखड़िया का निवासी है। दौरान वाद, दिनांक 07.12.2022 को श्री मूलचन्द्र की

Digitally signed by MOHINDER KUMAR
Date: 2026.07.20 12:55:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Sitapur

मृत्यु हो जाने के कारण उनके वैधानिक उत्तराधिकारी के रूप में उत्तरदाता संख्या 3 को पक्षकार बनाया गया। उल्लेखनीय है कि उक्त भूमि में श्री मूलचन्द्र का गाटा संख्या 70, 72 व 160 में 1/4 अंश तथा गाटा संख्या 163 में 1/12 अंश निहित था, जिसे उन्होंने पूर्णतः मानसिक रूप से स्वस्थ व सक्षम रहते हुए उचित प्रतिफल के एवज में दिनांक 27.02.2021 को पंजीकृत बैनामे के माध्यम से निगरानीकर्तागण के पक्ष में हस्तान्तरित कर दिया था, जिसके आधार पर निगरानीकर्तागण इस संयुक्त संपत्ति के स्वामी व काबिज हैं। चूंकि वादीगण रामगोपाल एवं हरद्वारीलाल का इस विक्रीत संपत्ति में कोई हित नहीं था, इसलिए उन्हें इस पंजीकृत बैनामे के निरस्तीकरण अथवा संयुक्त भूमि के संबंध में स्थायी व्यादेश का वाद लाने का कोई विधिक अधिकार नहीं था, क्योंकि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 31 के तहत लिखत रद्दकरण का वाद केवल वही व्यक्ति ला सकता है जिसके विरुद्ध वह शून्य या शून्यकरणीय हो, और धारा 41(J) के तहत बिना किसी हित के शाश्वत व्यादेश का वाद बाधित होता है। इसके अतिरिक्त, किसी अविभाज्य संपत्ति के संबंध में सहस्वामियों के विरुद्ध स्थायी व्यादेश का वाद नहीं लाया जा सकता, जिसके कारण वादीगण का वाद पत्र आदेश 7 नियम 11 (d) दीवानी प्रक्रिया संहिता (CPC) के तहत निरस्त होने योग्य था। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सिविल जज (जूनियर डिवीजन), सीतापुर ने मूलवाद दीवानी संख्या 389/2021 (कामता प्रसाद आदि बनाम रामगोपाल आदि) में आदेश पारित करते समय अपने क्षेत्राधिकार व न्यायिक मस्तिष्क का सही इस्तेमाल नहीं किया, विधि व्यवस्थाओं की गलत व्याख्या की और आदेश 10(2) CPC के बयानों को गलत तरीके से पढ़ा; अतः न्यायहित में उक्त त्रुटिपूर्ण व विधि–विरुद्ध प्रश्नगत आदेश दिनांकित 19.11.2022 को निरस्त कर निगरानीकर्तागण (प्रतिवादीगण) का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 CPC (कागज संख्या 26 ग2) स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद पत्र निरस्त किया जाना विधिक रूप से आवश्यक है।

3. निगरानीकर्तागण की ओर से अपने कथनों के समर्थन में सूची 5 ग से एक किता नकल आदेश दिनांकित 19.11.2022 पारित द्वारा सिविल जज (जू०डि०) सीतापुर, प्रमाणित नकल फर्द खर्चा प्रश्नगत आदेश दिनांकित 19.11.2022, नकल खतौनी, पंजीकृत बैनामा दिनांकित 27.02.2021, छायाप्रति आदेश 7 नयम 11 सी.पी.सी., निगरनीकर्ता रामगोपाल के आधार कार्ड की छायप्रति आदि दखिल किया गया है।

4. उक्त निगरानी के विरूद्ध उत्तरदाता संख्या–1 कामता प्रसाद व उत्तरदाता संख्या–2 हरद्वारी लाल द्वारा लिखित आपत्ति कागज संख्या 19 ग2 प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि विवादित कृषि भूमि गाटा संख्या 70, 72, 160 व 163 के वादी/उत्तरदाता संख्या 1 तथा मृतक मूलचन्द्र सह खातेदार थे और मूलचन्द्र के पुत्र कामता प्रसाद एवं हरद्वारी लाल (उत्तरदाता संख्या 2, जो ग्राम चौखड़िया, तहसील मिश्रिख, जिला सीतापुर के ही निवासी हैं) पहले से दीवानी वाद में वादी के रूप में शामिल हैं, जिस कारण उत्तरदाता संख्या 3 राम सिंह को प्रतिवादी बनाया गया है। उत्तरदातागण का मुख्य आधार यह है कि मूलचन्द्र ने अपने जीवनकाल में आदेश 10 नियम 2 दीवानी प्रक्रिया संहिता (CPC) के तहत दिनांक 10.08.2021 को सशपथ बयान देकर तथा अपने लिखित उत्तर में विवादित पंजीकृत बैनामे दिनांक 27.02.2021 के निष्पादन से साफ इनकार किया था और वाद पत्र को स्वीकार किया था, जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त विक्रय पत्र धोखा एवं जालसाजी से संबंधित है जिसका निस्तारण

केवल विस्तृत वाद विचारण (Trial) द्वारा ही संभव है। वादीगण/उत्तरदातागण का उक्त कृषि भूमि में जीवंत हित निहित होने के कारण उन्हें प्रतिवादीगण राम गोपाल एवं विशाल के विरुद्ध स्थायी व्यादेश व बैनामा निरस्तीकरण का वाद लाने का पूर्ण विधिक अधिकार है, क्योंकि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 31 के अनुसार केवल विक्रय पत्र का पक्षकार ही नहीं, बल्कि उससे प्रभावित कोई भी व्यक्ति उसके रद्दकरण का वाद प्रस्तुत कर सकता है और अपरिहार्य परिस्थितियों में अविभाज्य संपत्ति के संबंध में भी धारा 38 के तहत शाश्वत व्यादेश का वाद लाया जा सकता है, जिससे यह वाद धारा 41(J) से बाधित नहीं है। अंत में यह प्रतिपादित किया गया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय [सिविल जज (जूनियर डिवीजन), सीतापुर] ने प्रश्नगत आदेश पारित करने में अपने क्षेत्राधिकार एवं न्यायिक मस्तिष्क का सही इस्तेमाल करते हुए विधि–सम्मत आदेश पारित किया है, जिसमें आदेश 10 नियम 2 CPC के तहत दर्ज विक्रेता का बयान अत्यंत प्रासंगिक और अहम महत्व रखता है; अतः न्यायहित में धोखा एवं जालसाजी के तथ्यों से युक्त इस मामले में अवर न्यायालय द्वारा पारित विधिक आदेश को स्थिर रखते हुए निगरानीकर्तागण की प्रस्तुत दीवानी निगरानी को खारिज किया जाना न्यायोचित है। रिस्पोण्डेंट की ओर से अपने तर्क के समर्थन में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा **कपिल देव प्रसाद व अन्य बनामा रामानन्द प्रसाद ए.आई.आर. 2007 पटना 1** के निर्णय को विधिक दृष्टान्त के रूप में प्रस्तुत किया।

5. सुना व प्रश्नगत आदेश का सम्यक अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में निम्नलिखित अवधारणीय प्रश्न अर्न्तवलित हैंः–

1–क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वाद को आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत नामंजूर न कर वैधानिक त्रुटि कारित की गयी है।

6. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण कामता प्रसाद व हरिद्वारी पुत्रगण हरिद्वारी द्वारा विक्रय पत्र निरस्तीकरण एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण रामगोपाल व विशाल पुत्रगण रामसिंह व मूलचन्द्र पुत्र सीताराम के विरूद्ध योजित किया गया। उक्त वाद में वादीगण द्वारा कथित किया गया कि प्रतिवादी संख्या 3 के पिता सीताराम ने अपनी कृषि भूमि स्थित ग्राम सेमरहिया परगना कस्ता तहसील मितौली जिला लखीमपुर खीरो को बिक्री कर ग्राम बाबूपुरवा मजरा चौखड़िया परगना व तहसील मिश्रिख में स्थित खाता संख्या 82 व 127, गाटा संख्या 70,72,160 व 163 क्रय किया था। विवादित कृषि भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्से बटे हुए हैं तथा सभी अपने–अपने हिस्से पर काबिज हैं। विवादित भूमि खाता संख्या 82 व 127 के गाटा संख्या 70/1–420 हेक्टेयर, 72/1–364 हेक्टेयर व 160/0–466 हेक्टेयर का 1/4 भाग गाटा संख्या 163/0–934 हेक्टेयर के 1/12 स्थित ग्राम बाबूपुरवा मजरा चौखड़िया परगना व तहसील मिश्रिख जिला सीतापुर में वादीगण फसलें बोकर मुस्तफीद होते रहे हैं। वादीगण (Respondent) के पिता एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 (Revisonist) के बाबा मूलचन्द्र पुत्र सीताराम का दिमाकी सन्तुलन लगभग एक वर्ष से खराब चला आ रहा है, जिससे वह अपना भला बुरा समझने की क्षमता नहीं रखते हैं तथा जिसकी देशी व अन्य प्रकार से दवाओं का इलाज चल रहा है। वादीगण (Respondent) को यह जानकारी हुयी कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 (Revisonist) द्वारा दिनांक 27.02.2021 को प्रतिवादी संख्या 3 मूलचन्द्र से जालसाजी कर बिना विक्रेता को वास्तविकता से अवगत कराये तथा बिना कोई कब्जा, बिना किसी प्रतिफल भुगताना किये विवादित भूमि का विक्रय

पत्र निष्पादित करवा लिया गया है। उक्त विक्रय पत्र से संबंधित कृषि भूमि में वादीगण का जीवन्त हित निहित है। अन्त में वादीगण द्वारा यह प्रार्थना की गयी प्रतिवादी संख्या 3 मानसिक रूप से गत एक वर्ष से विकृत है तथा अपने अच्छे बुरे को सोचने की क्षमता नहीं रखते हैं। प्रश्नगत विक्रय पत्र में फर्जी तौर पर वादी संख्या 01 के समरसेबुल को दर्शाया गया है। गाटा संख्या 163 में समरसेबुल वादीगण का है। उपरोक्त आधार पर प्रश्नगत विक्रय पत्र को फर्जी, अविधिक एवं प्रभावशून्य कहा गया है।

7. पत्रावली में आलोच्य आदेश दिनांकित 19.11.2022 के परिशीलन से विदित होता है कि मूलवाद में प्रतिवादीगण रामगोपाल व अन्य की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र 26 ग 2 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. दिया गया था। इसमें यह कथन किया गया कि प्रश्नगत विवादित संपत्ति कुल तीन किता गाटा संख्या का कुल क्षेत्रफल 3.02500 हेक्टेयर है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 व 2 (Revisonist) के पिता श्री राम सिंह का नाम खातेदार के रूप में दर्ज है, जिसका उक्त भूमि में 1/4 अंश है। वादीय संपत्ति में वादी संख्या 1 कामता प्रसाद का 1/4 अंश है, हरिद्वारी लाल का कोई हक व हिस्सा नहीं है, प्रतिवादी संख्या 3 श्री मूलचन्द्र का 1/4 अंश था, जिसको प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने द्वारा पंजीकृत बैनामा दिनांक 27.02.2021 क्रय किया। क्रयशुदा अंश से वादीगण का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। वर्णित भूमि के संबंध में खातेदारों के मध्य अदालती बटवारा नहीं है, बल्कि सह स्वामी अपनी–अपनी सुविधानुसार काबिज चले आ रहे हैं। वादी संख्या–1 कामता प्रसाद का मात्र 1/4 अंश है, वह अपने अंश से अधिक भूमि के संबंध में दावा नहीं कर सकता। वादी संख्या 1 कामता अवश्य ही राजस्व न्यायालय में धारा 116 उत्तर प्रदेश राज्य राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत विभाजन का वाद प्रस्तुत कर अपना अंश पृथक करा सकता है। अतः प्रस्तुत वाद धारा 31 विनिर्दिष्ट अधिनियम 1963 के तहत बाधित है। इसके अतिरिक्त यह भी कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 3 मूलचन्द्र ने उचित प्रतिफल लेकर भूमि का कब्जा व दखल प्रतिवादी संख्या 1 व दो को तारीख बैनामा पर ही सौंप दिया था। अन्त में कहा गया कि वादीगण (Respondents) को प्रस्तुत वाद को करने का अधिकार नहीं था, वह प्रारंभिक स्तर पर ही निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थनापत्र में प्रतिवादीगण द्वारा यह भी कहा गया कि प्रतिवादी संख्या 3 के द्वारा धोखाधड़ी व जालसाजी पूर्वक लिखित कथन तैयार कराकर जवाब दावा दाखिल कराया गया तथा बयान अंतर्गत धारा 10(2) सी.पी.सी. भी अंकित कराया गया। उक्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह स्वस्थ मानसिकता का रहा है। यदि प्रतिवादी संख्या 3 मूलचन्द्र विकृत मानसिकता का था, तो वादीगण को आदेश 32 नियम 3 सपठित 15 का अनुपालन करते हुए वाद दाखिल करना चाहिए था। अन्त में दावा वादी को नामंजूर किये जाने की प्रार्थना की गयी।

8. उक्त प्रार्थना पत्र 26 ग के विरूद्ध वादीगण द्वारा आपत्ति 31 ग प्रस्तुत की गयी, जिसमें यह कहा गया कि वादी संख्या 1 कामता प्रसाद, वादी संख्या 2 हरिद्वारी लाल प्रत्येक का वादीय कृषि भूमि में 1/3 अंश है। मूलचन्द्र द्वारा आदेश 10 नियम 2 सी.पी.सी. के तहत दर्ज कराये गये बयान में प्रश्नगत विक्रय पत्र के निष्पादन से इंकार किया गया है। अन्त में यह कहा कि प्रश्नगत विक्रय पत्र खारिज हो जाता है तथा उनके पिता मूलचन्द्र के नाम प्रश्नगत संपत्ति दर्ज हो जाती है, तो प्रत्येक वादी को 1/3 अंश प्राप्त होगा। अंत में कहा गया प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. निरस्त किये जाने योग्य है।

9. यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पर विचार किये जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ वादपत्र में अभिकथित तथ्यों को ही विचार में लिया जा सकता है। इस संबंध में जब हम वादीगण/उत्तरदातागण के द्वारा वादपत्र में अभिकथित तथ्यों का परिशीलन करते हैं, तो यह पाते हैं कि वादीगण ने यह स्वीकार किया कि वादीगण (Respondent) के पिता एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 (Revisonist) के बाबा मूलचन्द्र पुत्र सीताराम थे, जिन्हें वादी ने वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 3 के रूप में पक्षकार बनाया। वादीगण के अनुसार श्री मूलचन्द्र के पिता सीताराम ने ग्राम सेमरहिया परगना कस्ता तहसील मितौली जिला लखीमपुर खीरी कि अपनी जमीन को बिक्री कर ग्राम बाबूपुरवा मजरा चौखड़िया परगना व तहसील मिश्रिख में भूमि खाता संख्या 82 व 127 के गाटा संख्या 70/1–420 हेक्टेयर, 72/1–364 हेक्टेयर व 160/0–466 हेक्टेयर का 1/4 भाग गाटा संख्या 163/0–934 हेक्टेयर को क्रय किया। वादीगण के अनुसार विवादित कृषि भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्से बटे हुए हैं तथा सभी अपने–अपने हिस्से पर काबिज हैं। वादीगण (Respondent) ने वादपत्र में यह अभिकथित किया कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 (Revisonist) द्वारा दिनांक 27.02.2021 को प्रतिवादी संख्या 3 से जालसाजी कर बिना विक्रेता को वास्तविकता से अवगत कराये तथा बिना कोई कब्जा, बिना किसी प्रतिफल भुगतान किये विवादित भूमि का विक्रय पत्र निष्पादित करवा लिया गया है। जिसे इस वाद में चुनौती दी गयी है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा कि वादीगण(Respondent) के पिता एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 (Revisonist) के बाबा मूलचन्द्र पुत्र सीताराम का दिमागी सन्तुलन लगभग एक वर्ष से खराब चला आ रहा है, जिससे वह अपना भला बुरा समझने की क्षमता नहीं रखते हैं तथा जिसकी देशी व अन्य प्रकार से दवाओं का इलाज चल रहा है।

10. वादीगण(Respondent) द्वारा उक्त तथ्यों को यदि विचार में लिया जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि एक तरफ वादीगण (Respondent) यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रश्नगत बैनामा करते वक्त उनके पिता मूलचन्द्र का दिमागी सन्तुलन ठीक नहीं था। अतः यदि वादीगण(Respondent) की उक्त बहस को यदि स्वीकारा जाता है, तो प्रश्नगत बैनामे को मंसूख के लिए योजित किये गये वाद में मूलचन्द्र को बतौर वादी नामित करना चाहिए था और वादीगण में से कोई वाद वादमित्र की हैसियत से आदेश 32 नियम 1 एवं 2 सपठित नियम 15 के दृष्टिगत वाद को संचालित कर सकता था। इस संबंध में संबंधित प्रावधान का उल्लेख करना समीचीन होगा।

आदेश 32 नियम 1 सी.पी.सी. यह प्राविधान करता है

अवयस्क वाद–मित्र द्वारा वाद लाएगा—अवयस्क द्वारा हर वाद उसके नाम में ऐसे व्यक्ति द्वारा संस्थित किया जाएगा जो ऐसे वाद में अवयस्क का वाद–मित्र कहलाएगा।

[स्पष्टीकरण—इस आदेश में "अवयस्क" से वह व्यक्ति जिसने भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875 (1875 का 9) की धारा 3 के अर्थ में अपनी वयस्कता प्राप्त नहीं की है, अभिप्रेत है जहां वाद उस अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (क) और खण्ड (ख) में वर्णित विषयों में से किसी विषय या किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में है।]

आदेश 32 नियम 2 सी.पी.सी. यह प्राविधान करता है

<u>जहां वाद–मित्र के बिना वाद संस्थित किया जाए वहां वादपत्र फाइल से निकाल दिया जाएगा</u>—(1) जहां अवयस्क द्वारा या उसकी ओर से वाद, वाद–मित्र के बिना संस्थित किया जाता है वहां प्रतिवादी यह आवेदन कर सकेगा कि वादपत्र फाइल से निकाल दिया जाए और खर्चे उस प्लीडर या अन्य व्यक्ति द्वारा दिए जाएं जिसने उसे उपस्थित किया था।

(2) ऐसे आवेदन की सूचना ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी और उसके आक्षेप(यदि कोई हों)सुनने के पश्चात न्यायालय उस विषय में ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

<u>आदेश 32 नियम 15 सी.पी.सी. यह प्राविधान करता है–नियम 1 से नियम 14 तक का (जिसमें नियम 2 क सम्मिलित नहीं है) विकृतचित्त वाले व्यक्तियों को लागू होना</u>— नियम 1 से नियम 14 तक (जिसमें नियम 2 क सम्मिलित नहीं है) ऐसे व्यक्तियों को, जहां तक हो सके, लागू होंगे जो वाद के लंबित रहने के पूर्व या उसके दौरान विकृतचित्त के न्यायनिर्णीत किए जाते हैं और ऐसे व्यक्तियों को भी लागू होंगे जो यद्यपि ऐसे न्याय निर्णीत नहीं किए जाते हैं, किन्तु जब वे वाद लाते हैं या उनके विरुद्ध वाद लाया जाता है तब वे न्यायालय द्वारा जांच किए जाने पर किसी मानसिक दौर्बल्य के कारण अपने हित की संरक्षा करने में असमर्थ पाए जाते हैं।

11. उक्त प्रावधान से स्पष्ट हो जाता है कि वादीगण(Respondent) के द्वारा अभिकथित इस तथ्य के दृष्टिगत कि उनके पिता मूलचन्द्र का दिमागी सन्तुलन ठीक नहीं था, तो उनके लिए आदेश 32 नियम 1 सपठित नियम 15 के तहत यह अपेक्षित था कि वह वादमित्र की हैसियत से अपने पिता मूलचन्द्र को वादी बनाते हुए वादपत्र प्रस्तुत कर सकते थे, किन्तु वादीगण द्वारा अपने पिता मूलचन्द्र को प्रतिवादी संख्या 03 बनाया गया। इसके अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेखनीय होगा कि यदि वादीगण(Respondent) यह समझते थे कि उन्हें पिता मूलचन्द्र का प्रश्नगत बैनामा में उनका हित उनके जीवनकाल में नहित था और वह मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थे, तो ऐसी दशा में उन्हें प्रतिवादी बनाने के साथ–साथ आदेश 32 नियम 3 सी.पी.सी. के दृष्टिगत संरक्षक नियुक्त करने हेतु प्रार्थनापत्र देना चाहिए था, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण(Respondent) द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के रूप में बनाये गये पक्षकार मूलचन्द्र के संरक्षक नियुक्ति संबंधी आदेश 32 नियम 3 सी.पी.सी. के तहत कोई प्रार्थनापत्र भी नहीं दिया गया है।

12. निगरानीकर्ता (वादीगण) की ओर से दौरान बहस यह कथन किया गया है कि मूलचन्द्र ने आदेश 10 नियम 2 सी.पी.सी. के तहत अपना बयान दिनांक 10.08.2021 को दर्ज कराया है, जिसमें उसने यह बयान दिया कि उसकी पहले दवा चल रही थी, अब नहीं चल रही है। अब वह पूरी तरह से मानसिक रूप से स्वस्थ है। उनके द्वारा कहा गया कि रामगोपाल उसे बैनामा करने के लिए ले गये थे, इसके अलावा उसे कुछ पता नहीं है। उक्त बयान के आधार पर वादीगण(Respondent) की ओर से यह बहस करने का प्रयास किया गया कि मूलचन्द्र का बैनामा करते समय मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, किन्तु बाद में उसकी मानसिक स्थिति ठीक हो गयी। मूलचन्द्र ने बयान में इस तथ्य को स्पष्ट नहीं किया कि उसकी मानसिक स्थिति कब से खराब थी और वह कब ठीक हुए। वादीगण (Respondent) द्वारा भी वादपत्र में कहीं भी इस स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया है। उल्लेखनीय होगा कि प्रश्नगत बैनामा दिनांक 25.02.2021 को किया गया। वादीगण(Respondent) द्वारा यह वाद 17.06.2021 को योजित किया

गया। मूलचन्द्र ने बयान अंतर्गत आदेश 10 नियम 2 सी.पी.सी. में यह स्वीकारा है कि उसने बैनामा दिनांक 25.02.2021 निष्पादित किया था। मूलचन्द्र की मानसिक स्थिति कब से खराब थी और वह कब ठीक हुआ, इसका कोई कथन वादीगण (Respondent) एवं मूलचन्द्र की ओर से नहीं किया गया है। यदि बैनामा करने के वक्त से वाद दाखिला के समय तक मूलचन्द्र की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो आदेश 32 नियम 1 सपठित नियम 15 सी.पी.सी. के तहत वादीगण मूलचन्द्र के स्थान पर वादमित्र की हैसियत से वाद प्रस्तुत कर सकते थे और यदि दाखिला करने के वक्त वह मानसिक रूप से सही हो चुके थे, तो ऐसी दशा में मूलचन्द्र व्यक्तिगत रूप से वाद दाखिल कर सकते थे। वादीगण (Respondent) द्वारा अपने पिता मूलचन्द्र को बिना संरक्षक नियुक्त कराये प्रतिवादी संख्या 03 बनाना यह साबित करता है कि वाद दाखिला के समय वह स्वस्थ चित्त हो गये थे, किन्तु स्वीकृत रूप से यह वाद मूलचन्द्र की ओर से दाखिल कर प्रश्नगत बैनामा को चुनौती नहीं दी गयी। अतः उक्त परिस्थितियों में मूलचन्द्र द्वारा आदेश 10 नियम 2 सी.पी.सी. के बयान का लाभ वादीगण(Respondent) को प्राप्त नहीं हो सकता है।

13. उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि वादी संपत्ति कृषि भूमि है। वादीगण द्वारा इस तथ्य से भी इंकार नहीं किया गया कि वादी संपत्ति, जिसे प्रतिवादी संख्या 3 मूलचन्द्र द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 (Revisionist) के हक में जरिये पंजीकृत बैनामा विक्रित कर दिया था, उसके मूलचन्द्र स्वामी नहीं थे अथवा उनका उस भूमि में विक्रित अंश नहीं था या अपने अंश से अधिक का बैनामा कर दिया गया। अतः जब प्रश्नगत कृषि भूमि के वास्तविक स्वामी मूलचन्द्र थे, तो उस भूमि के संबंध में किये गये बैनामा को निरस्त किये जाने का अधिकार उनके जीवन काल में सिर्फ उन्हीं को हो सकता था। यहां इस संबंध में धारा 31 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम का उल्लेख करना समीचीन होगा।

धारा 31. <u>कब रद्दकरण का आदेश दिया जा सकेगा</u>–(1) <u>कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध कोई लिखित शून्य या शून्यकरणीय हो और जिसको यह युक्तियुक्त आशंका</u> हो कि ऐसी लिखित यदि विद्यमान छोड़ दी गई, तो वह उसे गंभीर क्षति कर सकती है, उसको शून्य या शून्यकरणीय न्यायनिर्णीत कराने के लिए वाद ला सकेगा, और न्यायालय स्वविवेक में, उसे ऐसा न्यायनिर्णीत कर सकेगा और उस न्यायालय को परिदत्त और रद्द किए जाने के लिए आदेश दे सकेगा।

14. प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 03 मूलचन्द्र द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 (Revisionist) के पक्ष में प्रश्नगत बैनामा दिनांकित 27.02.2021 को चुनौती दी गयी है। यह चुनौती प्रार्थी मूलचन्द्र द्वारा न देकर वादीगण (Respondent), जो मूलचन्द्र के पुत्र हैं, उनके द्वारा दी जा रही है। वादीगण (Respondent) द्वारा यह वाद वादमित्र की हैसियत से प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि मूलचन्द्र को उनके द्वारा प्रतिवादी संख्या 03 बनाया गया है। दौरान बहस निगरानी वादीगण(Respondent) की ओर से मूलचन्द्र के द्वारा आदेश 10 नियम 2 सी.पी.सी. के बयान को अपने हित में उद्धृत किया जाना यह दर्शाता है कि मूलचन्द्र सोचने व समझने के लिए सक्षम थे। ऐसे मे जबकि प्रस्तुत वाद मूलचन्द्र द्वारा दाखिल न कर उनके पुत्रगण/वादीगण(Respondent) द्वारा दाखिल किया गया है, तो ऐसी स्थिति में धारा 31 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम आकर्षित हो जाती है, जिसके तहत केवल मूलचन्द्र की प्रश्नगत बैनामे को निरस्त करा पाने के लिए दावा संस्थित कर सकते थे।

15. वादीगण (Respondent) की ओर से प्रस्तुत की गयी सम्मानित विधिक व्यवस्था **कपिल देव प्रसाद व अन्य बनामा रामानन्द प्रसाद ए.आई.आर. 2007 पटना 1** का लाभ वादीगण (Respondent) को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि माननीय न्यायालय के समक्ष मामला यह था कि पक्षकारों के मध्य पूर्व में बटवारे का वाद दाखिल किया गया था, जहां पर प्रतिवादी–याचिकाकर्ता द्वारा जवाबदावा दाखिल कर यह कथन किया गया था कि संपत्ति में पहले से ही बटवारा किया जा चुका है। तत्पश्चात् उक्त मामले में वादीगण ने भी वाद को त्याग दिया था। पुनः उसी उपचार के लिए वादीगण द्वारा योजित किये गये वाद पर वादी के विरूद्ध आदेश 7 नियम 11 के तहत प्रार्थनापत्र को प्रस्तुत कर वाद को नामंजूर किये जाने की प्रार्थना की गयी। उक्त मामले में न्यायालय द्वारा प्रार्थना अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. को निरस्त कर दिया गया। माननीय पटना उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया था कि वादीगण ने न्यायालय से महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है और इस आधार पर उसका प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. को स्वीकार करते हुए वाद को नामंजूर किया जाना चाहिए था, जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने यह पाया कि जहां फ्राड कारित किया गया है, वहां इस तथ्य को साक्ष्य से परखा जाना चाहिए था। माननीय पटना उच्च न्यायालय के समक्ष जो तथ्य थे, वह प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों से एकदम सुभिन्न हैं। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण के साथ कोई फ्राड होना अभिकथित नहीं है, बल्कि वादीगण(Respondent) प्रस्तुत प्रकरण में फ्राड प्रतिवादी संख्या 3 मूलचन्द्र के साथ कारित किया जाना अभिकथित किया गया है। मूलचन्द्र प्रस्तुत वाद में वादी नहीं है, उन्हें वादीगण(Respondent) ने मूलवाद में पक्षकार प्रतिवादी बनाया है। उक्त से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद में वादीगण (Respondent) को वाद दाखिला एवं मूलचन्द्र के जीवनकाल में याचित अनुतोष पाने का कोई अधिकार नहीं था।उपरोक्त आधार पर यह वाद धारा 31 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के प्रावधान के तहत बाधित था।

16. जहां तक वादीगण(Respondent) द्वारा याचित स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष का प्रश्न है, तो स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष की याचना किसके द्वारा की जा सकती है, इसका उल्लेख विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 41 में उल्लिखित है, जो इस प्रकार हैः–

<u>धारा–41. व्यादेश कब नामंजूर किया जाता है–व्यादेश अनुदत्त नहीं किया जा सकता:—</u>

(क) किसी व्यक्ति को किसी ऐसी न्यायिक कार्यवाही के अभियोजन से अवरुद्ध करने को जो ऐसे वाद के, जिसमें व्यादेश ईप्सित है, संस्थित किए जाने के समय लंबित हो, जब तक कि ऐसा अवरोध कार्यवाहियों के बाहुल्य को निवारित करने के लिए आवश्यक न हो;

(ख) किसी व्यक्ति को ऐसे न्यायालय में, जो उस न्यायालय के अधीनस्थ नहीं है जिससे व्यादेश ईप्सित है, किसी कार्यवाही को संस्थित या अभियोजित करने से अवरुद्ध करने को;

(ग) किसी व्यक्ति को किसी विधायी निकाय के समक्ष आवेदन करने से अवरुद्ध करने को;

(घ) किसी व्यक्ति को किसी आपराधिक मामले में कोई कार्यवाही संस्थित या अभियोजित करने से अवरुद्ध करने को;

(ङ) ऐसी संविदा का भंग निवारित करने को जिसका विनिर्दिष्टतः पालन प्रवर्तनीय नहीं है;

च) किसी ऐसे कार्य को न्यूसेंस के आधार पर निवारित करने को, जिसके संबंध में यह युक्तियुक्त तौर पर स्पष्ट न हो कि वह न्यूसेंस हो जाएगा;

(छ) किसी ऐसे चालू रहने वाले भंग को निवारित करने को, जिसमें वादी उपमत हो गया हो;

(ज) जबकि सामान्यतः प्रभावकारी अनुतोष, कार्यवाही के किसी अन्य प्रायिक ढंग द्वारा निश्चयपूर्वक अभिप्राप्त किया जा सकता हो, सिवाय न्यासभंग की दशा के;

(झ) जबकि वादी या उसके अभिकर्ता का आचरण ऐसा रहा हो जो उसे न्यायालय की मदद पाने के लिए निरर्हित कर दे;

(ञ) जबकि वादी का उस मामले में कोई वैयक्तिक हित न हो।

17. पूर्व प्रस्तरों में किये गये विश्लेषण के आधार पर यह देखा जा चुका है कि प्रश्नगत विवादित संपत्ति में वादीगण का हित प्रतिवादी संख्या 3 मूलचन्द्र के जीवित रहने के दौरान नहीं हो सकता था, इसलिए मूलचन्द्र के जीवित रहने के दौरान योजित किया गया दावा, जिसमें स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष की याचना की गयी थी, उसे भी धारा 41 (ञ) विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के दृष्टिगत प्रदान नहीं किया जा सकता।

18. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि वादीगण(Respondent) का दावा धारा 31 एवं 41 (ञ) विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के दृष्टिगत पोषणीय नहीं था, किंतु इन तथ्यों को विद्वान विचारण न्यायालय ने संज्ञान में नहीं लिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **Manjula & Others. V/S D.A. Srinivas 2026 Live law (SC) 478** में यह अवधारित किया गया जहां न्यायालय को वाद पत्र के परिशीलन से यह समाधान हो जाये कि वाद नामंजूर किये जाने योग्य है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय को वाद नामंजूर कर देना चाहिए। विद्वान विचारण न्यायालय ने निगरानीकर्ता (प्रतिवादीगण संख्या 1 एवं 2) की ओर से दिये गये प्रार्थना पत्र कागज संख्या 26 ग 2 अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. को निरस्त करने में विधिक त्रुटि कारित की गयी है। अतः न्यायालय सिविल जज (जू.डि.) सीतापुर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 19.11.2022 अपास्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

तद्नुसार प्रस्तुत सिविल निगरानी स्वीकार की जाती है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 19.11.2022 अपास्त किया जाता है। विद्वान न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) सीतापुर को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त निर्णय में किये गये संप्रेक्षण के आधार पर प्रार्थनापत्र 26 ग 2 अंतर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का पुनः निस्तारण गुण–दोष के आधार पर करें।

इस निर्णय की एक प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ विद्वान अवर न्यायालय को प्रेषित की जाये।

<u>दिनांक– 18.07.2026</u>

(मोहिन्दर कुमार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–08, सीतापुर
(JO CODE– UP06383)

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

<u>दिनांक– 18.07.2026</u>

(मोहिन्दर कुमार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–08, सीतापुर
(JO CODE– UP06383)